

भाग-स

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

..... वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री
..... (पदनाम) विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन दिनांक को कर लिया गया है एवं विकास
कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विका
अधिनियम, 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक